

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू-अर्जन निदेशालय
पटना, बिहार
अधिसूचना

पत्रांक.....

दिनांक.....

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- विशुनपुर थाना नं०-06 परागना-मझवां जिला-गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् गोपालगंज बेटिया के बिच पुल एवं पहुंच पथ के निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर यानि बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अर्जन अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचना किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए ग्राम- विशुनपुर में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.66 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा नं०- निम्न प्रकार है।

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा नं०-

227 अंश, 226 अंश, 225 अंश,

अर्जनाधीन भूमि की चौहदी

उत्तर:- सिवाना नवादा थाना नं०-04 ।

दक्षिण:- 200पूर्ण, 221पूर्ण,

पूरब:- 226 अंश, 224 अंश, 225 अंश, 223 अंश, 320 अंश, 172 अंश।

पश्चिम:- 225 अंश, 224 अंश, 223 अंश, 222 अंश, 172 अंश।


इस अधिसूचना को भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 यथा संशोधित सन् 1984 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज एवं उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत् समय लगे बिहार सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारीयों को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण कर तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) यथा उपबंधित तथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करेंगे।

चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि का अर्जन तुरन्त आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (A) के उपबंध उक्त जमीन पर लागू नहीं होंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


समाहर्ता
गोपालगंज।

सरकार के ^{अवर} सचिव
बिहार पटना।

ज्ञापांक सं०-14/डी०एल०ए० गोपालगंज (पुल)-67/2012-2965/रा०, पटना-15, दिनांक-14/12/2012

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रारूप की तीन प्रतिया को दो दैनिक समाचार पत्रों से जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट समाहरणालय शाखा, गोपालगंज को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की अतिरिक्त 10-10 प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा एवं समाहर्ता, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

2